न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 36/2023–24 तारीख दायर :–18.10..2023 दिनांक निर्णय :–07.12.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहमण निवासी विजयनगर तहसील राजगढ़,अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नीमला तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मन्दिर श्री वसुदेव जी महाराज विराजमान राजगढ़ वाके ग्राम विजयनगर तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी भूमि वाके ग्राम कारोठ के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्ट0 राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहमण निवासी विजयनगर के द्वारा पक्का निर्माण दुकान बनाकर कर अतिक्रमण अतिक्रमण कर लिया गया है।

प्रकरण के सम्बंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राजा–6/2007/पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का नीमला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत् तामील होकर प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नियत सुनवाई तारीख पेशी को गैरसायल अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन किया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6 /2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 05 में राज्य सरकार द्वारा "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी हल्का द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे। जिला कलक्टर मूर्ति मन्दिर की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनका प्रकरण दर्ज कर तदानुसार प्रभावी निस्तारण करेगे।" के निर्देश जारी किये गये है। पटवारी हल्का नीमला की रिपोर्ट के अनुसार मन्दिर श्री वसुदवे जी महाराज विराजमान राजगढ़ वाके ग्राम विजयनगर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्ट0 मन्दिर श्री वसुदवे जी महाराज विराजमान राजगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त मूर्ति मंदिर की भूमि पर राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहमण निवासी विजयनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम विजयनगर पर पक्का निर्माण दुकान बनाकर कर अतिक्रमण किया गया है।

अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम वियजनगर की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071–75 के अनुसार मन्दिर श्री वसुदेव जी महाराज विराजमान राजगढ़ हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिस पर गैरसायल राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहगण निवासी विजयनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर पर गैरसायल की हैसियत मूर्ति मदिर की भूमि पर एक अतिक्रमी की है और मंदिर माफी देवमूर्ति की भूमियों से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमी राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहमण निवासी विजयनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर को बेदखल किया जाना विधिनुसार समाचीन है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी राजेश पुत्र जगदीश जाति संजोगी ब्राहमण निवासी विजयनगर तहसील राजगढ जिला अलवर वाके ग्राम विजयनगर के आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.30 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 2 की 50 गुणा में मु0 100.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों नीमला एंव पटवारी हल्का नीमला को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 07.12..2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 45 पर सि.पी. 100/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार